शांति व प्रशांत भूषण परिवार पर आरोप

तथ्यों के प्रकाश में

प्रशांत भूषण और उनके पिता शांति भूषण ने भ्रष्टाचार के कई मामले उजागर किए हैं। प्रशांत भूषण भ्रष्टाचार, खासकर के न्यायपालिका के भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार पिछले दो दशक से हर संभव लड़ाई लड़ रहे हैं। गरीब आदमी, आम आदमी को न्याय मिले इसके लिए वे न्यायपालिका की आंख की किरकिरी भी बने। न्यायपालिका के अंदर की गंदगी को सार्वजनिक करने का काम, कारपोरेट घरानों से कई बार टक्कर, जनआंदोलनों के हर घुटती मांग को सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंचाने वाले, सिविल सोसाइटी में भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रतीक बन चुके हैं प्रशांत भूषण और उनका परिवार भी इस काम में पीछे नहीं है। आज उन पर कई सवाल हैं……जो मीडिया में आने के बाद लोगों के मन में घर कर गये हो सकते हैं।

प्रशांत भूषण परिवार को बदनाम करने की साजिश के सही तथ्य क्या हैं?

लोकपाल बिल के लिए संयुक्त प्रारूप समिति की अधिसूचना जैसे ही जारी हुई उसके तुरंत बाद, भूषण परिवार को बदनाम करने की गतिविधियां तेज हो गईं। एक गढ़ी हुई (फैब्रिकैटिड) सीडी कुछ चुनिंदा मीडिया वालों को उपलब्ध कराई गई। इलाहाबाद में एक संपत्ति की खरीद के संबंध में स्टांप ड्यूटी चोरी करने के आरोप लगाए गए। नोएडा में आवंटित 2 कृषि भूमि भूखंडों के संबंध में शांति भूषण और जयंत भूषण पर 'कलंक-कथा' बनाई गई। सूचनाएं को गलत तरीके से पेश कर मीडिया ने परोक्ष रूप से बहुत सी गलत सूचनाएं फैलाईं। लोकपाल बिल के लिए संयुक्त प्रारूप समिति से प्रशांत भूषण और शांति भूषण को हटाने के लिये आरोपों और अफवाहों का बवंडर खड़ा कर दिया गया। नतीजा यह हुआ कि लोगों ने भी सही तथ्यों को जानने की कोशिश नहीं की और मान लिया कि भूषण परिवार भी शायद पाक-साफ नहीं हैं। इसलिए इन साजिशों पर सही प्रकाश डालने के लिए तथ्यों की जांच होना जरूरी है। इन तीनों मुद्दों से जुड़े तथ्य यहां ब्यौरावार दिए गये हैं . . . . . .

हमारा निवेदन है कि आप इन तथ्यों को पढ़ें और अन्य लोगों के साथ भी साझा करें।

शांति भूषण सीडी के बारे में तथ्यों का कथन

प्र.1 यह सीडी कैसे आई और उसमें क्या है?

उ.1.

13 अप्रैल 2011 को अचानक एक **रहस्यवादी** तरीके से इंडियन एक्सप्रेस समेत कुछ खास मीडिया संस्थानों को यह सीडी भेजी गई। जिसमें अमर सिंह और मुलायम सिंह साथ ही शांतिभूषण और मुलायम सिंह के बीच बातचीत मौजूद है। इस बातचीत में यह सुनाने की कोशिश की गई है कि शांतिभूषण मुलायम सिंह को यह बता रहे हैं कि मेरा बेटा प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट में एक खास जज के साथ चार करोड़ रुपये में सारी सेटिंग कर सकता है।

2.

13 अप्रैल की रात को इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्टर ने यह सीडी श्री शांतिभूषण जी के सामने चलाई। शांतिभूषण अमर सिंह से कभी मिले ही नहीं जबकि इस सीडी में उन्हें आमने-सामने बैठे हुए प्रदर्शित किया गया है। चूंकि यह बातचीत कभी हुई ही नहीं इसलिए उन्होंने इस नकली सीडी के खिलाफ अगले ही दिन एफआईआर दर्ज की।

प्र.2. इस सीडी को सत्यापित करने के बारे में क्या तथ्य हैं और इस सारी सूचना के प्रसार में मीडिया ने क्या भूमिका निभाई है।

उ.2.

1. 16 अप्रैल 2011 को हिन्दुस्तान टाईम्स ने अपने पहले पन्ने पर एक स्टोरी लगाई। जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें सरकारी लैब से सत्यापित एक सीडी मिली है। और इस सरकारी लैब ने इसे सही प्रमाणित किया है। हालांकि उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लैब या विशेषज्ञ का नाम नहीं छापा।

2. 17 अप्रैल 2011 को श्री प्रशांत भूषण और अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कांफ्रेस बुलाई। जहां उन्होंने दो प्रसिद्ध फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट को जारी किया, हैदराबाद स्थित ट्रूथ लैब, जो भारत की सबसे अच्छी फोरेंसिक लैब में से एक है। इसके अध्यक्ष डॉ. गांधी काजा हैं और दूसरी अमेरिका स्थित साउंड एविडेंस जिसके अध्यक्ष डॉ. जॉर्ज पैपकन हैं। ये रिपोर्टें डॉ. एस.आर. सिंह (पूर्व निदेशक, सीएफएसएल, सीबीआई, नई दिल्ली) और डॉ. जॉर्ज पैपकन, पी.एचडी (एकुस्टीक फोनेटिक्स) द्वारा लिखी गई है। डॉ. जॉर्ज पैपकन जो एक ध्वनि विश्लेषण (एकुस्टीक एनालिसिस) विशेषज्ञ हैं और कई

बड़े केसों में उनकी विशेषज्ञता पर विश्वास जताया गया। ट्रुथ लैब के सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री एम.एन. वेंकटचलैया हैं।

3.
इन रिपोर्टों में यह पाया गया कि सीडी में मुलायम सिंह की बातचीत के ज्यादातर हिस्से सन 2006 में मुलायम सिंह और अमर सिंह के बीच हुई बातचीत की ही नकल थे। इसके अलावा स्पेक्ट्रोग्राम के आधार पर ही बहुत सी जगहों पर ऐसे संकेत मिले हैं कि बातचीत के दौरान श्री शांतिभूषण जी के कथनों और वाक्यांशों में बहुत सा अंतराल था। कई अलग-अलग बातचीतों में से उनके शब्द और वाक्यांश कॉपी करके यहाँ एक साथ जोड़े (पेस्ट) गये थे।

4.
18 अप्रैल 2011 को दिल्ली पुलिस ने शांतिभूषण से यह सीडी एकत्रित की। पुलिस वालों को शांतिभूषण ने 2006 की उस सीडी की एक प्रति भी दी, जिसमें मुलायम सिंह और अमर सिंह के बीच की बातचीत थी। जिसे प्रशांत भूषण ने अमर सिंह टेप केस 2006 ने सुप्रीम कोर्ट में प्रतिलेख के साथ प्रस्तुत किया था। पुलिस को यह भी बताया गया कि इस नकली सीडी में मुलायम सिंह की बातचीत के कई हिस्से सीधे ही 2006 में अमर सिंह और मुलायम सिंह के बीच हुई बातचीत से कॉपी करके पेस्ट किए गए थे।

5.
21 अप्रैल 2011 को इकॉनॉमिक टाइम्स ने यह रिपोर्ट निकाली की सीएफएसएल-सीबीआई, दिल्ली ने दिल्ली पुलिस को यह रिपोर्ट दी है कि सीडी सही है। और उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। उसी दिन कुछ खास मीडिया चैनलों ने यह दिखाना शुरू किया कि सीएफएसएल-सीबीआई ने यह नतीजा निकाला है कि सीडी में कहीं कोई जोड़-तोड़ करके संपादन नहीं किया गया है। हालांकि किसी के पास भी सीएफएसएल-सीबीआई की रिपोर्ट की कोई कॉपी नहीं थी। दिल्ली पुलिस ने भी आधिकारिक रूप से न तो इसकी पुष्टि की और न ही इन्कार किया।

6.
इस सबके बावजूद भी मीडिया इस तरह के भ्रम पैदा कर रही है। कि क्या सीडी में वास्तव में छेड़छाड़ हुई है? और वो भी सीएफएसएल-सीबीआई और एक गुमनाम सरकारी लैब की रिपोर्ट के आधार पर जिसके बारे में हिन्दुस्तान टाइम्स ने लिखा था।

प्र. 3. हमें सीएफएसएल सरकारी लैब पर यकीन क्यों नहीं करना चाहिए?

उ. 3.

1. पिछले अनुभवों के आधार पर सरकारी लैब द्वारा जारी की गई रिपोर्टों की विश्वसनीयता पर कई सवाल खड़े होते हैं। इसके अलावा जब यह सीडी सीएफएसएल को भेजी गई उससे बहुत पहले ही प्रशांत भूषण ने रिकॉर्ड की जांच इस संदेह की बिना पर शुरू कर दी थी कि भूषण परिवार को बदनाम करने की गंदी साजिश रची जा रही है। और इस सबके पीछे सरकार है। इन सब परिस्थितियों के मद्देनजर सरकार द्वारा नियंत्रित सीएफएसएल जैसी लैब पर भरोसा नहीं किया जा सकता।

2. सीएफएसएल को यह कैसे नहीं दिखा कि इस नकली सीडी में मुलायम सिंह के कई वाक्य 2006 में अमर सिंह के साथ हुई बातचीत (जिसे 2006 में सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत किया गया था।) से नकल करके लगाए गए थे? ......ट्रुथ लैब और साउंड एबीडेंस की रिपोर्ट पहले उनके पास मौजूद है। जिसमें संपादित किए हुए संकेतों और शांतिभूषण के कथनों के बीच अंतराल को साफ-साफ दिखाया गया है।

3. भूषण ने सुप्रीम कोर्ट से सीडी मामले में निष्पक्ष जांच के लिए याचिका दायर की है।

प्र. 4. भूषण द्वारा चुनी गई इन दोनों प्राइवेट लैब पर कोई भरोसा क्यों करे?

उ. 4.

1.बहुत से मुकदमों में यह देखा गया है कि यह दोनों ही लैब विशेषज्ञ के रूप में अपनी व्यावसायिकता के लिए न केवल बहुत अधिक प्रसिद्ध हैं बल्कि इन्होंने संपादित की हुई जगहों और अंतरालों की सटीक स्थिति बताकर स्पष्ट स्पेक्टोग्रॉफिक सबूत दिए हैं।

2. एक रिपोर्ट तो एकुस्टिक एनालिसिस (ध्वनि विश्लेषक) के विश्व प्रसिद्ध विशेषज्ञ जार्ज पैपकन द्वारा दी गई है। उनके बारे में पूरी जानकारी यहां देखी जा सकती है।
http://www.soundevidence.com/

3. दूसरी रिपोर्ट ट्रुथ लैब की है। जिसके सलाहकार बोर्ड के चेयरमैन रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एम.एन. वेंकटचलैया हैं। उनकी वेबसाइट को यहां देखा जा सकता है।
http://www.soundevidence.com/

4. दूसरी ओर जिस तथाकथित सीएफएसएल-सीबीआई रिपोर्ट पर कुछ खास मीडिया संस्थान भरोसा कर रहे हैं। एक ने भी यह रिपोर्ट नहीं दिखाई है। यहां तक कि हिन्दुस्तान टाइम्स ने भी जिस तथाकथित रिपोर्ट का जिक्र किया है। ना तो उस लैब या लेखक का नाम बताया है और ना ही रिपोर्ट से एक वाक्य तक छापा है।

5. किसी भी सूरत में इस बात में शक की पूरी गुंजाइश है कि मुलायम सिंह की 2006 में हुई अमर सिंह के साथ बातचीत से नकल (कॉपी) करके ही इस सीडी में जोड़ी गई है।

प्र.5 इस तथाकथित सीडी की प्रमाणिकता की जांच करने के लिए श्री शांतिभूषण जी की आवाज के नमूने क्यों नहीं लिए गए।

उ.5.

आवाज शांतिभूषण जी की लग रही है। लेकिन फोरेंसिक रिपोर्ट यह दर्शाती हैं कि उनकी बातचीत में उनके शब्दों और अक्षरों को अलग-अलग बातचीतों में से काटकर इस फर्जी सीडी में ज़ोड़ा गया है। आवाज के नमूने सिर्फ ट्रुथ लैब ने ही लिए थे। दूसरी किसी भी लैब ने शांतिभूषण जी के नमूने नहीं लिए।

प्र.6. अब सवाल यह उठता है कि यह फर्जी सीडी किसने बनाई और मीडिया में प्रचारित की?

उ.6

1. इस सीडी के प्रारम्भिक हिस्से में अमर सिंह की आवाज बिल्कुल साफ है और उसमें कहीं भी कोई रुकावट नहीं है। वे कहते है कि शांतिभूषण मेरे पास बैठे हुए हैं। (जो कि तथ्यात्मक रूप से गलत है। जो कुछ भी अमर सिंह ने सीडी में कहा अगर वह सही रूप में उन्होंने कहा है तो इससे साफ जाहिर है कि फर्जी सीडी को अन्जाम देने में उनका भी हाथ है।

2. इसके अलावा अमर सिंह ने उस जज का भी नाम लिया है जो सुप्रीम कोर्ट में 2जी स्पेक्ट्रम और अमर सिंह टेप मामले को देख रहे हैं। इस फर्जी सीडी को बनाने के पीछे उनके कई उद्देश्य हो सकते हैं जैसे..

(क) **भूषण परिवार को बदनाम करनाः-** चूंकि प्रशांत भूषण अमर सिंह के 2006 वाले टेप का खुलासा जनता के सामने करवाना चाहते थे। और एक अन्य मामले में प्रशांत भूषण ने अमर सिंह के कहने पर नियुक्त किए गए उत्तर प्रदेश के दो मुख्य सचिवों को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा

हटवा दिया था इसलिए इस सब कि खुन्नस निकालने के लिए भूषण परिवार के खिलाफ यह साजिश का जाल बुना गया।

(ख) 2जी मामले और अमर सिंह टेप मामले से जुड़े हुए जज को हटाने के लिए साजिश रची गई है।

3. यही वजह है कि शांतिभूषण ने सुप्रीम कोर्ट में एक आपराधिक अवमानना याचिका दायर की है। और इस फर्जी सीडी के पीछे की साजिश की स्वतंत्र जांच की मांग की है। क्योंकि सीएफएसएल-सीबीआई ने वहीं रिपोर्ट दी है जो मीडिया की रिपोर्टों में नजर आया और यह रिपोर्ट सही नहीं है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस जिसने एफआईआर के चौथे दिन तक भी सीडी की कॉपी नहीं ली थी, ने भी सीएफएसएल-सीबीआई रिपोर्ट को बिना किसी को कोई कॉपी दिखाए प्रसारित करने में साथ दिया है। इससे लगता है कि बदनाम करने के इस अभियान में केंद्र सरकार भी शामिल है।

शांतिभूषण और जयंतभूषण को नोएडा में प्लॉट आबंटन के संबंध में तथ्यों का कथन

जयंतभूषण और शांतिभूषण को नोएडा अथॉरिटी द्वारा आवंटित कृषि भूमियों के आबंटन के संबंध में भी बहुत सी गलत सूचनाएं फैलाई गईं। इस संबंध में इस बात पर गौर किया जाना चाहिए कि

1. यह आबंटन किसी भी विवेकाधीन कोटे के तहत नहीं किया गया था।
2. इस संपत्ति का मूल्य 3.67 करोड़ रुपए (35 लाख रुपए नहीं, जैसा कि अधिकांश समाचार पत्रों में बताया गया है।) और 9.18 लाख रुपए वार्षिक लीज रेंट है।

प्र.1 क्या यह जमीन विवेकाधीन कोटे के तहत आवंटित की गई थी?

उ. नहीं

1. कृषि भूमि का आबंटन किसी विवेकाधीन कोटे के तहत नहीं किया गया था बल्कि यह नोएडा अथॉरिटी की एक नियमित योजना थी और इस योजना के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया गया था और प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवेदन खुला था। यह योजना दस हजार वर्ग मीटर कृषि भूमि के लिए थी जिस पर पंद्रह हजार वर्ग फीट का फॉर्महाउस बनाने की अनुमति दी गई है। इसमें यह नहीं बताया गया था कि नोएडा में यह भूमि कहां दी जाएगी।

2. शांतिभूषण ने मार्च 2009 में इस योजना के तहत आवेदन दिया था।

3. मई 2009 में उन्हें एक साक्षात्कार के लिए बुलाया गया जिसमें वो गये और इस साक्षात्कार में वित्तीय संसाधनों का सत्यापन किया गया था।

4.जनवरी 2010 नोएडा अथॉरिटी ने एक पत्र भेजा जिसमें लिखा था कि दस हजार वर्गमीटर की एक जमीन सेक्टर 165 में आपको आबंटित की गई है और आबंटन लेटर अलग से जारी किया जाएगा।

5. उसके बाद जनवरी 2011 तक नोएडा अथॉरिटी से कोई सूचना नहीं मिली और जनवरी 2011 में एक आबंटन पत्र दिनांक 05/01/2011, प्राप्त किया जिसके अनुसार भूमि संख्या एफएच-18 और एफएच-19 सेक्टर 165, में दस हजार वर्गमीटर की भूमि आवंटित की गई थी। जिसका कुल प्रीमियम रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से रुपए 3,67,50,000/- था और 30 मीटर चौड़ी सड़क पर होने की वजह से लोकेशन शुल्क भी अलग से इसमें जोड़ा गया था। यह भी ध्यान देने लायक बात है कि आबंटन दर जो पहले रुपए 3100/- प्रति वर्गमीटर थी बढ़कर रुपए 3500/- प्रति वर्गमीटर हो गई है।

प्र.2. क्या यह जमीन औने-पौने दाम पर खरीदी गई है?

उ.2.

1.प्रत्येक भूमि की कीमत रुपए 3.67 करोड़ है और 90 साल तक सालाना रुपये 9.18 लाख लीज रेंट अलग से है। जिसका मतलब है। प्रतिमाह 75,000/- से भी ज्यादा कीमत लीज की अवधि तक भुगतान करनी होगी। तो निश्चित रूप से यह औना-पौना दाम तो नहीं है।

2. प्रत्येक संपत्ति की कुल कीमत 35 लाख रुपये नहीं है। (जैसा कि बहुत से समाचार पत्रों में कहा गया है। अब तक 83 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है। बाकि का 11 प्रतिशत ब्याज के दर से भुगतान किया जाना है।

3. ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को ***पहली किस्त को ही जमीन की कुल कीमत*** समझने की गलतफहमी हो गई है

4. तो इसमें कहने जैसा कुछ भी नहीं है कि जयंतभूषण और शांतिभूषण को यह जमीन बाजार मूल्य से कम कीमत पर दी गई है।

5. यह आरोप की आबंटन दर बाजार मूल्य का एक अंश मात्र है। बिल्कुल बेबुनियाद है। खुले बाजार में कुछ भी नहीं बेचा गया। किसी ने भी यह तक नहीं बताया कि यह बाजार मूल्य किस तरह निर्धारित किया गया था।

प्र.3 जमीन के आबंटन के लिए क्या मापदंड था?

उ.3.

1. जमीन के आबंटन के लिए न तो विज्ञापन में और न ही योजना की विवरणिका में कोई मापदंड का उल्लेख किया गया था। आवेदकों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था। जो आवेदकों की भुगतान क्षमता का निर्धारण करने के लिए किया गया था और साथ ही यह जानने के लिए था कि आवेदक उस जमीन पर क्या करना चाहता है।

2. नोएडा अथॉरिटी के सीइओ ने (बिजनेस स्टैंडर्ड 23/04/2011) में स्पष्ट कहा कि कुल 160 आवेदन प्राप्त किए गए जिसमें से 97 को भूमि आवंटित कर दी गई है और बाकि पर विचार किया जा रहा है। आवेदनों की संख्या शायद ऊंची कीमतों और कुछ कड़ी शर्तों के कारण ज्यादा नहीं थी। शायद इसीलिए आबंटन की दर बाजार मूल्य से कम होती तो शायद आवेदनों की संख्या भी कई गुना ज्यादा होती।

3. विवरणिका में ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया था कि अगर प्लॉट से ज्यादा आवेदनों की संख्या होगी तो उस स्थिति में आबंटन किस आधार पर किया जाएगा। यहां तक की जब आबंटन किया गया तब भी यह स्पष्ट नहीं था कि क्या आबंटन के लिए कोई ड्रा होगा क्योंकि आवेदनों की संख्या प्लॉट के संख्या से अधिक थी।

प्र.4 अगर भूषण यह जानते थे कि आबंटन मनमाने ढंग से किए जा रहे हैं तो उन्होंने अपना प्लॉट रद्द क्यों नहीं किया?

उ.4.

1. आबंटन के लिए न तो विज्ञापन में और न ही योजना के विवरणिका में कोई मानदंड दिए गए थे। यहां तक कि इसमें यह भी संकेत नहीं दिया गया था कि प्लॉटों के आबंटन के लिए नोएडा अथॉरिटी मनमाना तरीका अपनाएगी।

2. सच तो यह है कि शांतिभूषण ने पहले यह कह दिया था कि अगर प्लॉटों के आबंटन को लेकर कोई भी सवाल पाया गया तो वे प्लॉट को लौटाने के लिए तत्पर रहेंगे।

3. इसके अतिरिक्त यदि आबंटन के बाद प्लॉट वापस किए गए तो इसे पहले से ही भुगतान किए गए धन पर जुर्माना देना होगा।

प्र.5. जयंतभूषण मायावती के खिलाफ मुकदमा लड़ रहे थे क्या भूषण को मुकदमें से हटाने के लिए मायावती ने ये जमीनें दी थीं?

उ.5.

1. नहीं मुकदमें और जमीनों के बीच कोई संबंध नहीं है नोएडा पार्क केस में जयंतभूषण ने शुरू से आखिर तक सब कुछ मीडिया के सामने खोल कर रख दिया था। इस मुकदमें में दिए गए फैसले को कोई भी देख सकता है। या दोनों याचिकाकर्ताओं से संपर्क कर सकता है।

2. यह भी सच है कि ये कृषि भूमि दो ब्लॉकों में आवंटित की जानी थी और भूषण को दोनों में से सबसे खराब स्थान पर प्लॉट दिया गया है। जो कि दस किलोमीटर दूर है। और एक अविकसित क्षेत्र है। यहां तक कि वहां जाने के लिए कोई सड़क मार्ग भी नहीं है।

3. इस सबसे यह पता चलता है कि बहुत से दूसरे लोगों को इसे कहीं अधिक अच्छी जगह (नोएडा के सेक्टर 125 में/ या उसके आसपास) पर, बहुत पहले और कम कीमत पर (रुपए 3100/- प्रति वर्गकिमी.) आवंटित किए गए हैं जबकि आवेदन एक ही समय पर किए गए थे। इस अर्थ में तो दूसरों के बजाय भूषण के साथ भेदभाव किया गया है। जैसे..

(क) पंजीकरण राशि पर कोई अतिरिक्त ब्याज दिये बिना ही आबंटन के लिए उन्हें एक वर्ष अतिरिक्त प्रतिक्षा करवाकर।

(ख) उन्हें दस किलोमीटर दूर भूमि आवंद्टित करके जबकि औरों को उससे नजदीक भूमि आवंटित की गई थी। दूर होने के वजह से इन प्लॉटों की कीमत शुरुआती सेक्टरों के प्लाटों के अपेक्षा कम हैं।

(ग) ऊंची कीमत पर (रुपए 3100/- की बजाए रुपए 3500/-) प्लॉट आबंटित करके।

4. ऐसा कोई भी सुझाव कि जयंतभूषण मायावती सरकार के खिलाफ नोएडा पार्क का मुकदमा लड़ रहे थे। उसके एवज में उन्हें यह जमीन आबंटित की गई थी, बिल्कुल बेबुनियाद और गलत है। इसके विपरीत शायद आबंटन की देरी और खराब स्थान होने की वजह से कोई मुकदमा ही हो सकता है।

5. सच तो यह है कि अभी प्रशांत भूषण और शांति भूषण ताज कारीडोर घोटाला मामले में मायावती सरकार के खिलाफ प्रस्तुत हो रहे हैं। इसलिए मायावती सरकार द्वारा भूषण परिवार को कुछ भी इनाम दिए जाने का तो सवाल ही नहीं उठता।

प्र. 6 क्या आपको लगता है कि इन प्लॉटों के आबंटन से संबंधित लोगों द्वारा जताए संदेह उचित हैं?

उ.6.

1. इलाहाबाद उच्च न्यायालय में इस योजना/आबंटन के खिलाफ एक याचिका दायर की गई थी। जिसे उच्च न्यायालय के एक बेंच ने पिछले साल खारिज कर दिया था। (विवरण)

2. दूसरी याचिका पूर्व एडिशनल सोलिसिटर जनरल विकास सिंह द्वारा दायर की गई थी। उन्हें भी उसी इलाके में प्लॉट आवंटित किया गया था। जहां भूषण परिवार को। उनकी शिकायत यह थी कि शुरुआती सेक्टरों (सेक्टर 125 में और उसके आसपास) के अच्छे प्लॉट कृपापात्र लोगों को आवंटित किए गए थे। और उनका प्लॉट एक बहुत ही गंदी लोकेशन पर था।

दो अन्य लोग जिन्हें अभी तक प्लॉट का आबंटन नहीं मिला है, ने भी आबंटन प्रक्रिया को चुनौती दी है। इस याचिका को भी इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 16/04/2011 को खारिज कर दिया। विकास सिंह मीडिया को यह बार-बार यह बता रहे हैं कि यह प्लॉट 15 से 20 करोड़ के मूल्य के थे और रिश्वत लेकर दिए जा रहे हैं। उनकी याचिका आबंटन प्रक्रिया को चुनौती देने वाली पीआईएल नहीं थी। वह अपने लिए और अपने सह-याची के लिए एक बेहतर प्लॉट आबंटन की मांग कर रहे थे। सच तो यह है कि उन्होंने 2010-11 की योजना में आवेदन दिया था। (भूषण के 19 महीने के बाद, और उसे उसी समय उतने ही मूल्य में और बराबर वाले सेक्टर में ही प्लॉट आबंटित हो गया)। उसने एक वैकल्पिक गुजारिश यह भी की अगर उससे बेहतर स्थान पर प्लॉट नहीं दिया जाता तो प्लॉट को रद्द कर दिया जाए और नीलामी कर दी जाए इससे साफ जाहिर है कि उसे ऐसा नहीं लगा कि जितना उसे भुगतान करने के लिए कहा गया है। प्लॉट की कीमत उससे ज्यादा है।

शांतिभूषण और प्रशांतभूषण की इलाहाबाद संपत्ति के बारे में तथ्यों का कथन

प्र.1. क्या भूषण ने इलाहाबाद में 20 करोड़ रुपए का घर 1 लाख रुपए में खरीदा है?

उ.2.
1. उक्त संपत्ति की बिक्री के लिए तत्कालीन बाजार मूल्य 1 लाख पर समझौता किया गया था। जिस को 1966 में दोनों पक्षों ने अपने हस्ताक्षर किए। हालांकि इन तथ्यों के आधार पर ही सरकार द्वारा संपत्ति मालिक में दी गई 99 साल की लीज खत्म हो चुकी थी उसका नवीकरण होना बाकी था, इसलिए सेल डीड को अंजाम नहीं दिया गया।

2. अंत में जब लीज डीड का नवीकरण हुआ और संपत्ति को फ्री होल्ड कर दिया गया। भूषण ने लंबित सेलडीड को अंजाम देने की मांग की तो मालिक ने इन्कार कर दिया।

3. भूषण ने इसके लिए इलाहाबाद सिविल कोर्ट में 2000 में एक मुकदमा डाला जो अभी तक लंबित थी।

4. इसके बाद भूषण और मालिक के बीच एक समझौता हुआ और मालिक इस संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा भूषण को बेचने के लिए तैयार हो गया। जो कि एग्रीमेंट टू सेल में तय किया गया था। हालांकि शेष भाग 4317.78 वर्ग यार्ड को समझौते में शामिल नहीं किया गया इस हिस्से को मालिक किसी भी दूसरे व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से बेच सकता है। और इस समझौते के आधार पर ही लंबित मुकदमा खत्म हो गया और इस तरह से इस संपत्ति को एक लाख रुपए में खरीदने के पीछे यह कहानी है।

5. इस तरह से दोनों पक्षों के आपसी समझौते के बाद 2010 में बैनामा कर दिया गया।

प्र.2. क्या भूषण स्टाम्प ड्यूटी की चोरी की है?

उ.2.
1. नहीं! स्टाम्प ड्यूटी का तो कोई सवाल ही नहीं है।

2. कानूनी तौर पर स्टाम्प ड्यूटी तीन तरीकों से आंकलित की जाती है..

- अगर सेल समझौते का मामला है। जो कि रुपए 1 लाख है। तो स्टाम्प ड्यूटी 1 लाख रुपए पर ही देय होगी।
- अगर यह मकान की बिक्री का मामला है तो स्टाम्प ड्यूटी अनुमानित वार्षिक किराए का 20गुना होगी जिसके अनुसार रुपए 6,67,200/- का भुगतान करना होगा।
- अगर इसे जमीन की बिक्री समझा जाता है तो उस मामले में बैनामे के दिन जमीन की कीमत के आधार पर स्टाम्प ड्यूटी देय होगी।

3. उक्त तथ्यों कि रोशनी में भूषण ने बैनामे से दो महीना पहले ही 29 सितम्बर 2010 को स्टाम्प एक्ट के सेक्शन 31 के तहत बैनामे की एक प्रतिलिपी दायर करके आवेदन किया था। और कलेक्टर से बैनामे के समय भुगतान की जाने वाली स्टाम्प ड्यूटी की राशि तय करने के लिए निवेदन किया था। चूंकि कलेक्टर ने कुछ भी निर्धारित नहीं किया था। बैनामा 29 नवम्बर 2010 को करना पड़ा फिर भी भूषण ने स्टाम्प ड्यूटी आकलन करने की पहली दोनों पद्धतियों में से अधिकतम राशि का भुगतान किया और चूंकि यह मकान बिक्री थी खाली जमीन की नहीं और जमीन अपने आप में घर का हिस्सा है। शांति भूषण को पूरा यकीन है कि उन्होंने स्टाम्प ड्यूटी की सही राशि का भुगतान किया है और अगर कोई भी विभागीय अधिकारी किसी राजनीतिक दबाव के चलते उनके इस दावे के खिलाफ है तो उनका यह दावा न्यायालय द्वारा ही निर्मित होगा। क्योंकि कानून के अनुसार विभागीय अधिकारियों द्वारा निर्धारित की गई स्टाम्प ड्यूटी को उच्च न्यायालय या अंत में सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है।

4. नोटिस मिलने से बहुत पहले ही भूषण ने खुद से कलेक्टर से देय स्टाम्प ड्यूटी का मूल्यांकन करने के लिए कहा था। तो इसमें स्टाम्प ड्यूटी चोरी करने का तो कोई सवाल ही नहीं है।

प्र.3. क्या भूषण को कोई ऐसा नोटिस मिला जिसमें रुपए 1.33 करोड़ की स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान करने के लिए कहा गया हो?

उ.3.

1.अधिकारियों द्वारा पहला नोटिस दिनांक 05/02/2011 था जिसमें भूषण को देय स्टाम्प ड्यूटी पर चर्चा करने के लिए 22 अप्रैल को आने के लिए कहा गया था। इसमें कोई भी संख्या नहीं थी।

2. दूसरा नोटिस दिनांक 15/04/2011 जारी हुआ, 23 अप्रैल 2011 को प्राप्त किया गया है। जो कि पहले वाले नोटिस के जैसा ही था लेकिन इसमें इस बार लगभग 1.33 करोड़ रुपये का जिक्र था। और स्टाम्प ड्यूटी का निपटारा करने के लिए 28/04/2011 की तिथि निश्चित की गई थी। यहां तक की इस नोटिस में यह भी कहा गया था कि स्टाम्प ड्यूटी के निर्धारण का सवाल उनके सामने अभी भी लंबित है। और भूषण को उचित देय स्टाम्प ड्यूटी निर्धारित करने में मदद करने के लिए आमंत्रित किया गया था। इसके निर्धारण में कलेक्टर शामिल होंगे और देखेंगे कि तीनों में से कौन सी पद्धती स्टाम्प ड्यूटी के भुगतान के लिए उचित है।

यह गौर करने लायक है कि यह नोटिस ठीक उसी दिन जारी किया गया जिस दिन श्री दिग्विजय सिंह ने स्टाम्प ड्यूटी चोरी करने का आरोप सार्वजनिक रूप से लगाया था।

अब आगे की एक तारीख 5 मई 2011 दी गई है।

3. स्टाम्प ड्यूटी के चोरी का कोई भी नोटिस नहीं है। देय स्टाम्प ड्यूटी का अंतिम निर्णय अभी भी लंबित है। वैधानिक रूप से लागू सभी स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान किया जाएगा।